न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा
पीठासीन अधिकारी : श्रीमती सपना कुमारी, R.A.S.

प्रकरण संख्या : 24/24 **GCMS id : 2024/58**

रूपचन्द आत्मज उदाजी, जाति लुहार, निवासी ग्राम काल्याखेडी, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा हाल निवासी दरा स्टेशन, तहसील कनवास, जिला कोटा

– (प्रार्थी)

बनाम

1. चतुर्भुज पुत्र हीरालाल
2. शिवराज पुत्र बाबूलाल
3. सुरेश उर्फ भूरा पुत्र बाबूलाल
4. सत्यनारायण पुत्र दुर्गालाल
5. जगदीश पुत्र बदीलाल
   जाति मीणा, निवासीगण बगसत काल्याखेडी, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
6. लोकेश पुरी पुत्र उच्छव पुरी, जाति गोसाई, निवासी ग्राम भीलखेडी, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

– (अप्रार्थीगण)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट
बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति : श्री दयाराम सेन, अभिभाषक प्रार्थी

निर्णय

दिनांक : 18.07.2024

1- प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र, अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बाबत प्रदान किये जाने अस्थायी निषेधाज्ञा, पेश किया गया।

2- प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA में निवेदन किया गया कि –

- ग्राम काल्याखेडी, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा में प्रार्थी के खाते व कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 66/2, 71/2, 294, 295, 296 कुल किता 5 रकबा 1.85 हैक्टर स्थित है।
- उक्त आराजी के खसरा नम्बर 294, 295, 296 के पास ही अप्रार्थी क्रम–1 की आराजी खसरा नम्बर 293 स्थित है, जिस पर अप्रार्थी पुराने रास्ते से ही आता जाता था।
- प्रार्थी के खाते की आराजी से होकर अप्रार्थी के जाने का रास्ता कभी नहीं रहा है। फिर भी अप्रार्थीगण आपस में मिलकर प्रार्थी के खाते की आराजी में से होकर जबरन पत्थर मिट्टी डालकर रास्ता बनाकर निकालने पर आमादा है जिसका इसका उनको कोई अधिकार नहीं है।
- अप्रार्थीगण ताकतवर व बडे परिवार वाले व्यक्ति है जबकि प्रार्थी कमजोर होने से उनका मुकावला कर उन्हें रोकने में असमर्थ है। अप्रार्थीगण अपने इस कृत्य में सफल हो गये तो प्रार्थी को ऐसी भारी क्षति होगी जिसकी पूर्ति नहीं हो सकेगी।
- अतः निवेदन है कि ताफैसला वाद प्रार्थी के पक्ष में अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि अप्रार्थीगण प्रार्थी के खाते व कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 294, 295, 296 के किसी भी हिस्से में जबरन घुसकर रास्ते नहीं बनावे और ना ही प्रार्थी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी करे।

3- अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र 212 RTA पेश कर निवेदन किया गया कि –

- प्रतिपक्षी क्रम–1 अपने खाते की आराजी पर आने जाने के लिये अपने पिता के समय से ही प्रार्थी की आराजी की मेढ पर बने कच्चे रास्ते से ही आता जाता रहा है तथा प्रतिपक्षी क्रम–1 को अपने खेत पर जाने से रोकने पर प्रार्थी की अपेक्षा प्रतिपक्षी क्रम–1 को अधिक नुकसान होगा। प्रार्थना पत्र के अन्य कथनों को अस्वीकार करते हुये विशेष आपत्तियों में निवेदन किया गया कि –

सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा
ACM (HQ), Kota

- खसरा नम्बर 400 रकबा 0.28 हैक्टर गैर मुमकिन खाल की उत्तरी मेढ से निकलकर खसरा नम्बर 296–297 के मध्य मेढ तथा खसरा नम्बर 292 व 294 के मध्य मेढ से होकर खसरा नम्बर 293 में आता जाता है।
- कोई नया रास्ता नहीं निकाला जा रहा है और ना ही अन्य प्रतिपक्षीगण के साथ मिलकर जबरन प्रार्थी के खेत में मिट्टी पत्थर डालकर नया रास्ता कायम किया जा रहा है।
- पटवारी काल्याखेडी की रिपोर्ट दिनांक 29.07.2021 में स्पष्ट किया है कि प्रार्थी वर्षो से खसरा नम्बर 296,297 व 292, 294 के मध्य की मेढ का उपयोग ही करता था।
- प्रार्थी ने अपने खेत खसरा नम्बर 294 की मेढ को कब्जे में लेकर बाउण्ड्री बना दी और खसरा नम्बर 400 की सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करके पत्थर का कोट बना दिया है जिससे प्रतिपक्षी क्रम–1 को अपनी खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 293 पर आने जाने व कृषि यन्त्र आदि ले जाने में परेशानी हो गई है।
- उक्त रास्ते के सम्बन्ध में प्रार्थी व अप्रार्थी के मध्य एक राजीनामा हो रहा है जिसके अनुसार प्रार्थी ने रास्ता भी दिया है और इसे नोटेरी से प्रमाणित भी कराया था।
- प्रार्थी का यह कोई प्रथम दृष्ट्या केस नहीं है और न ही सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है। अपने खेत पर जाने का रास्ता बन्द हो जाने से प्रार्थी की अपेक्षा प्रतिपक्षी को ही अपरिमित क्षति होने की पूर्ण संभावना है।
- अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी सव्यय खारिज फरमाया जावे।

4- प्रकरण में पूर्व से ही जवाब प्रार्थना पत्र पेश हो चुका था। माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, कोटा से प्रतिप्रेषित होकर प्राप्त होने के बाद अप्रार्थी अथवा उनके अभिभाषक बहस हेतु उपस्थित नहीं हुये। फलस्वरूप विद्वान प्रार्थी अभिभाषक की एकपक्षीय बहस प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए. सुनी गई –

- प्रार्थी अभिभाषक ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र 212 RTA के कथनों को दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम काल्याखेडी, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा में प्रार्थी के खाते व कब्जे की आराजी खसरा नम्बर 294, 295, 296 के पास ही अप्रार्थी क्रम–1 की आराजी खसरा नम्बर 293 स्थित है, जिस पर अप्रार्थी पुराने रास्ते से ही आता जाता थां। अब प्रार्थी के खाते की आराजी में से होकर जबरन पत्थर मिट्टी डालकर रास्ता बनाकर निकलने पर आमादा है। प्रार्थी कमजोर होने से उनका मुकाबला कर उन्हें रोकने में असमर्थ है। अप्रार्थीगण सफल हो गये तो प्रार्थी को भारी क्षति होगी। अतः निवेदन है कि ताफैसला वाद अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वे प्रार्थी के खाते व कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 294, 295, 296 के किसी भी हिस्से में जबरन घुसकर रास्ते नहीं बनावे और ना कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करे।

5- हमने प्रार्थी अभिभाषक की एकपक्षीय बहस के कथनों पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का उनके गुणावगुण के आधार पर आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन किया।

सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 नियम 1 व 2 सीपीसी के अनुसार अस्थायी निषेधाज्ञा के लिये निम्न तीन शर्तो की पालना आवश्यक है :–

(क) क्या प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला है ?

(ख) क्या सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है ?

(ग) क्या प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी ?

उपरोक्त तीनो बिंदु व्यादेश चाहने वाले पक्षकार के पक्ष में होना आवश्यक है।

(क) क्या प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला है ?

प्रथम दृष्ट्या मामला से तात्पर्य उस मामले से है जिसमें उसके समर्थन में दी गई साक्ष्य पर विश्वास किया जा सके अर्थात जिस मामले में ठोस व मजबूत रूप से स्थापित हुआ कहा जा सके। इस प्रकार ऐसा मामला जिसे, यदि, विरोधी पक्ष खण्डित नहीं कर सके तो ऐसे मामले को प्रथम दृष्ट्या मामला कहा जायेगा। कोई मामला प्रथम दृष्ट्या है अथवा नहीं, इसको सिद्ध करने का भार प्रार्थी पर होता है। वह शपथ पत्र या अन्य साक्ष्य द्वारा यह साबित करे कि उसके हक में प्रथम दृष्ट्या मामला बनता है।

प्रस्तुत प्रकरण में, प्रार्थी विवादित आराजी खसरा नम्बर 294, 295, 296 का अभिलिखित काश्तकार खातेदार है तथा आपने खाते की आराजी पर काबिज काश्त है। अप्रार्थीगण, प्रार्थी के खाते की उपरोक्त आराजी से अपने खाते की आराजी खसरा नम्बर

सहायक कलक्टर
लाडपुरा (कोटा)
ACM (HQ), Kota

12.2.24

293 पर जाना चाहते है जबकि राजस्व अभिलेख में ऐसा कोई प्रचलित रास्ता दर्ज नहीं है। प्रार्थी के खाते की आराजी से जाने व कृषि यन्त्र आदि ले जाने के कारण वादी की फसल को नुकसान हो रहा है। इस कारण यह प्रार्थी का प्रथम दृष्ट्या मामला है।

(ख) क्या सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है ?

अस्थायी निषेधाज्ञा चाहने वाले पक्षकार को सुविधा का सन्तुलन अपने पक्ष में होना, बताना पडेगा। प्रकरण में यह देखा जाना आवश्यक है कि प्रकरण में किस पक्षकार को अधिक असुविधा हो रही है।

प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी अपनी खातेदारी में दर्ज आराजी पर काबिज काश्त है। जहॉ प्रार्थी को सुखाधिकार के फलस्वरूप अपने स्वयं की जमीन पर मेढ रखने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है, वहीं सक्षम न्यायालय से रास्ता प्राप्त करने की कार्यवाही किये बिना अप्रार्थी को प्रार्थी के खाते की आराजी पर बनी मेढ का रास्ते रूप में उपयोग करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रार्थी विवादित आराजी का अभिलिखित काश्तकार खातेदार है तथा अपने खाते की आराजी पर काबिज काश्त है। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में निहित है।

(ग) क्या प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी ?

किसी भी प्रकरण में प्रार्थी को अपने खाते व कब्जे काश्त की आराजी पर होने वाली हानि से ऐसी क्षति हो जाये जिसकी पूर्ति भविष्य में होना संभावित नहीं हो और प्रार्थी को अनेक मानसिक व आर्थिक समस्याओं का सामना करना पडे तो इस प्रकार का नुकसान प्रार्थी के लिये अपूरणीय क्षति होगा।

प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी अपनी जमीन का खुद मालिक है उसे पूर्ण अधिकार है कि वह अपनी जमीन में से मेढ के लिये दे अथवा न दे। ऐसी स्थिति में वहॉ से जबरन निकलने से प्रार्थी को क्षति होना तो संभावित है ही। नक्शे को देखने से भी स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 294 व 296 पर ही मेढ निर्मित है जिससे प्रार्थी के खाते की उक्त आराजी का मेढ के रूप में उपयोग होने से वह उसका स्वयं के लिये उपयोग उपभोग नहीं कर पा रहा है।

अप्रार्थीगण द्वारा अपने खाते की आराजी 293 पर जाने के लिये इसी को प्रचलित रास्ता बताया है किन्तु उन्हें किसी अन्य खातेदार की आराजी का स्वयं के सुखाधिकार के लिये उपयोग करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। हल्का पटवारी की रिपोर्ट में भी खसरा नम्बर प्रार्थी के खाते की आराजी पर सोयाबीन बोये होने का उल्लेख किया है, जिसके कारण यदि अप्रार्थीगण द्वारा मेढ का रास्ते के रूप में व अपने कृषि यन्त्रों को ले जाने में उपयोग किया जायेगा तो इससे प्रार्थी के खाते की आराजी पर तैयार फसल को नुकसान होना अवश्यंभावी है। प्रार्थी की फसल के नष्ट हो जाने से प्रार्थी को ही अपूरणीय क्षति होगी।

6- उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि ग्राम काल्याखेडी, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा में प्रार्थी के खाते की आराजी 294, 295 के पीछे अप्रार्थी के खाते की आराजी खसरा नम्बर 293 स्थित है। खसरा नम्बर 293 पर जाने के लिये अप्रार्थीगण खसरा नम्बर 294 व 296 पर बनी मेढ का उपयोग कर रहे है। प्रार्थी को अपने खाते की आराजी खसरा नम्बर 294 व 296 पर मेढ बनाने अथवा पत्थरकोट करके अपनी फसल को सुरक्षित रखने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अप्रार्थीगण द्वारा अपने खाते की आराजी पर जाने के लिये प्रार्थी के खाते की आराजी का उपयोग कर रहा है। अप्रार्थी द्वारा पत्थर व मिट्टी डालकर जबरन रास्ता बनाने की कोशिश की जा रही है जिससे प्रार्थी द्वारा तैयार की गई फसल भी नष्ट हो रही है। इस कारण यह प्रार्थी का प्रथम दृष्ट्या मामला है तथा प्रार्थी का विवादित आराजी का अभिलिखित काश्तकार खातेदार है तथा अपने खाते की आराजी पर काबिज काश्त है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के खाते की आराजी उक्त रास्ते के रूप में उपयोग उपभोग करने के कारण प्रार्थी को होने वाली असुविधा के कारण सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। प्रार्थी के खाते की आराजी से कृषि यन्त्र, ट्रेक्टर आदि ले जाने से प्रार्थी की तैयार फसल के नष्ट हो जाने के कारण प्रार्थी को ही अपूरणीय क्षति हो रही है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के खाते की आराजी का रास्ते के रूप में उपयोग करने के कारण प्रार्थी के हित प्रभावित हो रहे है जबकि अप्रार्थीगण अपने खाते की आराजी पर जाने के लिये जिस मार्ग का उपयोग करना चाहता है वह राजस्व अभिलेख में प्रचलित रास्ता दर्ज भी नहीं है। अप्रार्थी द्वारा नोटरी से प्रमाणित राजीनामा व पटवारी रिपोर्ट पटवार मण्डल काल्याखेडी की फोटोप्रतियॉ पेश की गई है

सहायक कलक्टर
(मुख्यालय) कोटा
ACM (HQ), Kota

जिससे प्रतिवादी द्वारा वादी की आराजी पर से रास्ता उपयोग में लिये जाने की पुष्टि हो रही है। इस आधार पर अप्रार्थीगण, प्रार्थी के खाते की आराजी को किसी भी प्रकार से खुर्द बुर्द करने या पक्का रास्ता बनाने का अधिकारी नहीं है।

अप्रार्थीगण अपने खाते की आराजी पर जाने के लिये रास्ते की मांग के लिये राजीनामा के आधार पर सक्षम न्यायालय में वाद पेश करने हेतु पृथक से कार्यवाही करने के लिये स्वतन्त्र है किन्तु प्रार्थी के खाते की आराजी का दुरूपयोग करने का उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्ध ताफैसला वाद इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि अप्रार्थीगण, ग्राम काल्याखेडी, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा में स्थित प्रार्थी के खाते व कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 294, 295, 296 के किसी भी हिस्से में जबरन मदालखत व मजाहमत नहीं करे और ना ही प्रार्थी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी करे।

6- निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 18 जुलाई, 2024 को मेरे द्वारा लिखवाया और टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18/7/24

(श्रीमती सपना कुमारी)
सहायक कलेक्टर,
(मुख्यालय), कोटा

सहायक कलेक्टर
(मुख्यालय) कोटा

सहायक कलेक्टर
(मुख्यालय) कोटा